तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5753/2003/अलवर** **कजोडा बनाम ताराचंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकलपीठ

श्री चिरंजीलाल दायमा,सदस्य

उपस्थितः–

श्री अयूबखॉ, अभिभाषक प्रार्थी

श्री जे.के.पन्त, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 8.2.18

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के तहत उपखण्ड अधिकारी, रामगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–10–2003 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है ।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हें कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 के विरूद्व एक राजस्व वाद स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ के यहां ग्राम खेडी में स्थित आराजी खसरा नंबर 445 रकबा 4 बिस्वा, 446 रकबा 5 बिस्वा एवं 444 रकबा 8 बिस्वा स्थित पेश किया जो अभी विचाराधीन है । दौराने वाद प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 28–10–03 द्वारा खारिज कर दिया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में यह माना है कि एग्रीमेंट टू सेल उपपंजीयक या नोटेरी पब्लिक से सत्यापित नहीं है तथा किसी भी गवाह की वल्दियत व पूर्ण पता भी अंकित नहीं है तथा 18 वर्ष पूर्व के ऐसे असत्यापित एग्रीमेंट को जायज करार दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ना ही प्रार्थी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5753/2003/अलवर** **कजोडा बनाम ताराचंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कजोडा का विचाराधीन वाद में कोई हित निहित होना प्रतीत होता है । अतः प्रार्थी कजोडा पुत्र सोन्या का प्रार्थना–पत्र विचाराधीन वाद में हित निहित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है ।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी पर सुनी गई ।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी ने विवादित आराजी को जरिए इकरारनामा दिनांक 2–6–85 को प्रार्थी को विक्रय पर मौके पर कब्जा ले लिया था और तभी से प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज चला आ रहा है । इस कारण प्रार्थी का विवादित भूमि में हित निहित होने से वह आवश्यक पक्षकार है । प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि को जरिए इकरारनामा क्रय करने के कारण विक्रय पत्र निष्पादित करने हेतु प्रार्थी ने वादी के विरूद्व स्फेसिफिक परफोरमेन्स का दावा पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में हित निहित है । प्रार्थी ने जानबूझकर तथ्यों को छिपाते हुए प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया जब कि वे आवश्यक पक्षकार है।

उनका कथन है कि दिनांक 2–6–85 को उसने जरिए इकरारनामा भूमि का क्रय कर कब्जा ले लिया था । भूमि गैर खातेदारी की होने से रजिस्ट्री नहीं हो सकी । स्फेसिफिक परफोरमेन्स का दावा विचाराधीन है जिसमें सिविल कोर्ट के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है । प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था । अतः प्रार्थी की निगरानी को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, का निर्णय दिनांक 28–3–03 निरस्त कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे ।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि केवल मात्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5753/2003/अलवर** **कजोडा बनाम ताराचंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एग्रीमेंट के आधार पर पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है । एग्रीमेंट के 3 वर्ष के अन्दर अन्दर स्फेसिफिक परफोरमेन्स अधिनियम में दावा किया जा सकता है । प्रार्थी के पास किसी प्रकार का टाईटल नहीं है । अधिकारों का तय सिविल कोर्ट द्वारा ही किया जा सकता है । 3 वर्ष की मियाद भी निकल चुकी है । अतः निगरानी खारिज की जावे ।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पत्रावली में 3 रूपये के स्टॉम्प पर अप्रार्थी ताराचंद ,विजयसिंह द्वारा विवादित भूमि को 2400/– रूपये में क्रय किए जाने के संबंध में फोटो प्रति उपलब्ध है । यह एग्रीमेंट पंजीकृत नहीं है । बिना पंजीयन हुए ऐसे दस्तावेज की कोई अहमियत नहीं है । प्रार्थी के द्वारा जब सिविल कोर्ट में दावा कर रखा है तो उसे अपने हक व अधिकारों का निर्णय सिविल कोर्ट से ही करवाना चाहिए । प्रकरण में विवादित आराजीयात अप्रार्थी ताराचंद , विजयसिंह पिसरान मानसिंह की खातेदारी में दर्ज है । बिना किसी विधिक दस्तावेजात के प्रार्थी को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है । निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है ।

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है । विचारण न्यायालय का आदेश यथावत रखने के आदेश दिए जाते हैं । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो ।

(चिरंजी लाल दायमा)

सदस्य